PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 4, 2006/आश्विन 12, 1928

No. 150] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2006/ASVINA 12, 1928

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 29 सितम्बर, 2006

सं. टीएएमपी/15/2006-टीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 तथा 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, अपने वर्तमान दरों की वैधता के विस्तार हेतु, तूतीकोरिन पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करता है ।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/15/2006-टीपीटी

तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) **आवेदक**

आदेश

(सितंबर 2006 के 28वें दिन को पारित)

तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) के दरमान को पिछली बार दिनांक 4 अक्तूबर 2002 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उस समय अपनाई गई दो वर्ष की प्रशुल्क वैधता अवधि का अनुसरण करते हुए टीपीटी का दरमान अक्तूबर 2004 में संशोधन हेतु अपेक्षित हो गया। इस प्राधिकरण ने, पत्तन के अनुरोध पर, दिनांक 15 मार्च 2005 और 30 अगस्त 2005 को, वर्तमान दरमान की वैधता को 31 मार्च 2006 तक विस्तार प्रदान करते हुए दो आदेश पारित किये थे। टीपीटी को भी अपने दरमान के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव दिनांक 31 दिसंबर 2005 तक, दाखिल करने की सलाह दी गयी थी।

2. टीपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए, एक दो बार अपना प्रस्ताव दाखिल किया था। लेकिन उसके प्रस्ताव पूरे नहीं थे, इसलिए टीपीटी को यह सलाह दी गयी थी कि वह निर्धारित प्रारूप में एक व्यापक प्रस्ताव, प्रस्तावित दरमान के प्रारूप सहित दाखिल करे।

3.1. टीपीटी के अध्यक्ष ने, टीएएमपी के अध्यक्ष को संबोधित अपने अर्धशासकीय पत्र दिनांक 2 सितंबर 2006 द्वारा यह सूचित किया है कि पत्तन, प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता प्रतिनिधियों के साथ किये गये विचार-विमर्श पर आधारित प्रस्ताव पर पुनःविचार करना चाहता है तथा दिनांक 15 सितंबर 2006 तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गया।

3.2. टीपीटी ने प्राधिकरण से यह अनुरोध किया है कि वर्तमान दरमान की वैधता को 31 मार्च 2007 तक अथवा सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने तक इनमें से जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान किया जाय।

4. टीपीटी की प्रस्तुति के मद्देनज़र, यह प्राधिकरण वर्तमान दरमान की वैधता को, 31 मार्च 2007 तक अथवा टीपीटी द्वारा दाखिल किये जानेवाले प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान करने तक, इसमें से जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान करता है। यह विस्तार इस शर्त के अधीन दिया जाता है कि पत्तन की वास्तविक भौतिक तथा वित्तीय कार्य निष्पादन की, पिछले प्रशुल्क आदेश में विचार किये गये अनुमानों के संदर्भ से समीक्षा की जायेगी और अधिशेष, यदि कोई होगा तो, उसे संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों के खंड 2.13 के अनुसार, अगली प्रशुल्क वैधता की अवधि में समायोजित कर दिया जायेगा। अक्तूबर 2004 से दरमान के अंतिम रूप प्रदान किए जाने तक (प्राप्त होनेवाले प्रस्ताव पर) की अवधि के लिए, तूतीकोरिन पत्तन न्यास के पक्ष में प्रोद्भूत हुए संपूर्ण अतिरिक्त अधिशेष भी अगली प्रशुल्क वैधता अवधि में समायोजित कर दिया जायेगा।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2006-असा.]